फ. सं एवी.14015/57/2010-डीटी

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

'बी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,

नई दिल्ली, दिनांक 11.05.2017

आदेश

विषय: सुरक्षा क्लियरेंस के बिना निदेशकों की नियुक्ति - सीएआर के उल्लंघन के संबंध में।

सुरक्षा क्लियरेंस के बिना निदेशकों की नियुक्ति -सीएआर के उल्लंघन के संबंध में दिनांक 13.01.2017 के इस मंत्रालय के आदेश सं एवी-11013/2/2016-डीटी के संदर्भ में, आगे यह सूचित किया जाता है कि कंपनी नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार (निदेशकों की नियुक्ति एवं अहर्ता) निदेशकों की नियुक्ति हेतु **कंपनियों के पास 90 दिन या अगली बोर्ड बैठक तक का समय उपलब्ध होता है**। अतः, यह महसूस किया जाता है कि आवेदक कंपनी में नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित निदेशकों की पूर्व सुरक्षा क्लियरेंस की मांग करने में कंपनी नियम, 2014 के साथ साथ नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) के प्रावधानों का अनुपालन करने में कोई परेशानी नहीं होगी।

अतः, सभी एयरलाइन कंपनियों को सुझाव दिया जाता है कि प्रस्तावित निदेशकों की नियुक्ति से पूर्व इस संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार अग्रिम सुरक्षा क्लियरेंस प्राप्त कर लिया जाए। कार के प्रावधानों के उल्लंघन के किसी भी मामले में, मंत्रालय सम्बद्ध कंपनी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए विवश होगा।

(रूबीना अली)

निदेशक

टेली-फ़ैक्स : 24628012

सभी अनुसूचित/ क्षेत्रीय अनुसूचित/ गैर अनुसूचित एयरलाइन प्रचालक।